प्रकरण संख्या 64 / 16 RCMS ID-2019 / 00250 ता0रजू 18.10.2019

न्यायालय जिलाकलक्टरकरौली

पीठासीनअधिकारीडॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

राजेन्द्र मीना पुत्र हरिकिशन मीना उम्र 35 निवासी ग्राम पंचायत गुरदेह तहसील मण्डरायल जिला करौली —अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली —रेस्पोण्डेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अधिनियम 1976 एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2019 एवं माननीय उच्चन्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2019 के अंतर्गत

निर्णय दिनांक11.11.2019

यह अपील अपीलाण्ट की ओर से वकील अपीलाण्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया ळे कि प्रार्थी ग्राम पंचायत गुरदेह तहसील मण्डरायल के 1 / 2 भाग का उचित मूल्य दुकानदार है जिसमें बिना किसी शिकायत के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री वितरण कर रहा है। राजस्थान सरकरा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण करने के आदेश दिये गये थे और दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये गये कि जिसके अनुसार उपभोक्ता आधार कार्ड एवं अंगूठे के निशान से मिलान करने पर उनको रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओ.टी.पी. आता है उसी के आधार पर रसद सामग्री उपभोक्ताओं को वितरित की गई। किसी प्रकार की कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नही रहती है। उच्चस्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण संयुक्त जांचदल द्वारा दिनांक 30.06.2019 को प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया जिसके उपरांत जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी का प्राधिकारपत्र दिनांक 04.07.2019 को निलंबित किया जाकर 1 माह के पश्चात् दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस दिया कि 50 किलो 500 ग्राम चीनी का दुरूपयोग किया गया है जिसका जबाव प्रार्थी ने दिनांक 28.08. 2019 को दे दिया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व ही नॉनस्पिकिंग आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है जिसकी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने सुना जाकर दिनांक 26.09.2019 द्वारा विपक्षीगणों को स्टे के नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु आगामी तारीख 17.10.2019 नियत की गई है।जिसकी प्रमाणित कॉपी जिला रसद अधिकारी को दी गई इसके बाबजूद जिला रसद अधिकारी ने बिना सुनवाई करते हुये दिनांक 01.10.2019 को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र अत्यंत कठोर दण्ड देते हुये निरस्त कर दिया गया है अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

बहस उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपने बहस कथन में अपीलमीमो को दोहराते हुये कथन किया है कि बिना आधार के ही जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जबकि मौके पर चीनी को तौला नही गया है।पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्राधिकार पत्र खारिज किया गया है। जबकि मौके पर समस्त रसद सामग्री उपलब्ध थी। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में कहा है कि मौके पर निरीक्षण दौरान रसद सामग्री चीनी 50 किलो 500 ग्राम कम पायी गयी जिसका मौके पर प्राधिकार पत्रधारी द्वारा संतोषप्रद जबाव नही दिया गया है जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया है वह विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्षकार अभिभाषकगण एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उचित मूल्य की दुकान पर रसद सामग्री थोक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत मासिक वितरण एवं ऑनलाईन की जांच करने पर दिनांक 01.09. 2016 से 30.06.2019 तक 8060 किलो ग्राम गेंहू , चीनी 902 किलो ग्राम का स्टॉक होना चाहिये था किन्तु वितरण करने के बाद भौतिक सत्यापन के समय मौके पर गेंहू सही पाया गया किन्तु चीनी 50 किलो 500 ग्राम कम पायी गयी।जिसके संबंध में प्राथी ंअपने जबाव एवं बहस कथन में यह तथ्य बताया गया है कि मौके पर चीनी को तौला नही था। मात्र अंदाजा लगा कर ही चीनी की मात्रा कम बता दी गई है जो सही नही है। रसद सामग्री को राज्य सरकार द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन करने पर मौके पर तराजू से तौलना आवश्यक है किन्तु दौराने निरीक्षण ऐसा कोईसाक्ष्य पत्रावली मेंउपलब्ध नही है।हम अपीलाण्ट के कथनो ंसे सहमत है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी करौली को पत्रावली इस रिमाण्ड के साथ प्रेषित की जाती है कि अपीलाण्ट को विधिवत् सुना जावें एवं मौक पर तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः सुनवाई करें।निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी करौलीको उनकी मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहनलाल यादव)
जिलाकलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:13:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: